न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 167/2016

1/1 हीरालाल पुत्र धन्नारामा।
1/2 महेन्द्र पुत्र धन्नाराम।
1/3 श्रीमती भरपाई पत्नी धन्नाराम समस्त जाति जाट निवासीगण हरिपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
1/4 श्रीमती चन्द्रकला पत्नी मानसिंह।
1/5 श्रीमती मुन्नी पत्नी जसवन्त समस्त जाति जाट निवासीगण घुमनसर कलां तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 होशियार सिंह पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
2 रामकिशन पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी हरिपुरा हाल निवासी जीणी तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
3 श्रीमती मणी पत्नी दरियासिंह।
4 श्रीमती बरजी पत्नी मनोहर समस्त जाति जाट निवासीगण खेडला तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
5 श्रीमती भतेरी पत्नी बलवन्त पुत्री पोकरराम जाति जाट निवासी हरपालु तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
6 श्रीमती सुमित्रा पत्नी भरतसिंह पुत्री पोकरराम जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
7 अमीलाल पुत्र हरसुख।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

8 मालीराम पुत्र हरसुख समस्त जाति जाट निवासीगण हरिपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
9 श्रीमती मनेश पत्नी बलबीर।
10 श्रीमती सुशीला पत्नी जयवीर समस्त जाति जाट निवासीगण बारड़ा तहसील व जिला महेन्द्रगढ़।
11/1 श्रीमती सरोज पत्नी बल्लाराम।
11/2 रविन्द्र पुत्र बल्लाराम समस्त जाति जाट निवासीगण हरिपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
11/3 श्रीमती अन्नु पत्नी मनोज पुत्री बल्लाराम जाति जाट निवासी बिशनपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
11/4 सुश्री मुकेश पुत्री बल्लाराम जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
11/5 कुमारी सुप्रिया पुत्री बल्लाराम जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू नाबालिग जरिये वलिया कुदरति श्रीमती सरोज पत्नी बल्लाराम जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू माता खुद।
12 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा दिनांक 15.04.2013 बमुकदमा उनवानी अमीलाल बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सि.प्र.स. कमांक 124 दिनांक 15.04.2013

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री जगदीशचन्द्र, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिशराम सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 06.10.21

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 124 में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 होशियार सिंह की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा में दिनांक 15.04.2013 को उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सि.प्र.स. के तहत पेश किया जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने दिनांक 15.04.2013 को ही मूल आवेदन पत्र की पुश्त पर धारा 144 सि.प्र.स. के तहत निर्णय पारित कर मूल प्रार्थना पत्र मय निर्णय के तहसीलदार सुरजगढ़ को पालना हेतु प्रेषित कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलांट की और से यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट द्वारा धारा 144 सीपीसी का आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नही किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अनुसार अपीलांट को नोटिस नही दिया गया है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। रेस्पोडेंट द्वारा धारा 144 सीपीसी का आवेदन 14 वर्ष की देरी से प्रस्तुत किया गया है। विधि अनुसार 12 वर्ष बाद निर्णय की पालना नही करवा सकते है। विचारण न्यायालय द्वारा मूल प्रार्थना पत्र पर ही पृष्ठांकित आदेश पारित किया गया है। मूल आदेश/निर्णय के कुछ पक्षकार फौत हो चुके है। विधि अनुसार मृत व्यक्ति के विरूद्व किसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकार का आदेश विधि सम्मत नही हो सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 खारिज करने का निवेदन किया है। जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू 1989 (2)(एच.सी.) पेज 280, आर.एल.डब्ल्यू 1991(1)(एच.सी.) पेज 263,आर.एल.डब्ल्यू 2001(3)(एस.सी.) पेज 376,ए.आई.आर. 1979(इलाहाबाद)पेज 63,आर.बी.जे. 2017(एस.सी.) पेज 386, आर.एल.डब्ल्यू 2015(2) रेव(एच.सी.) पेज 1196 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रकरण के न्याय निर्णयन में सहायक है। अत आवेदन स्वीकार किया जावें। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है, पोषणीय नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। विधि में डिक्री की पालना हेतु बारह वर्ष की मियाद निर्धारित है किन्तु यह धारा 144 सीपीसी पर लागु नही होता है। विधि में धारा 144 सीपीसी में पक्षकारों को नोटिस देने की बाध्यता नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में अपीलांट को नोटिस जारी किये बिना, सुनवाई का अवसर दिये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायाहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 41 नियम 27सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात सत्यप्रति है। अत न्यायाहित में आवेदन स्वीकार किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट द्वारा धारा 144 सीपीसी का आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नही किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अनुसार अपीलांट को नोटिस नही दिया गया है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। रेस्पोडेंट द्वारा धारा 144 सीपीसी का आवेदन 14 वर्ष की देरी से प्रस्तुत किया गया है। विधि अनुसार 12 वर्ष बाद निर्णय की पालना नही करवा सकते है। विचारण न्यायालय द्वारा मूल प्रार्थना पत्र पर ही पृष्ठांकित आदेश पारित किया गया है। मूल आदेश/निर्णय के कुछ पक्षकार फौत हो चुके है। विधि अनुसार मृत व्यक्ति के विरूद्व किसी प्रकार का आदेश विधि सम्मत नही हो सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है। प्रार्थी रेस्पोडेंट नये सिरे से विधिक प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। विचारण न्यायालय नये सिरे से प्रस्तुत आवेदन पर विधिक प्रकिया अपनाकर गुणावगुण पर निर्णय हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 06.10.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर